राजस्थान सरकार

कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:प.4 (iv) DAG / IMP / CHC / TAFE / 2016–17 / 3291 - 3330 दिनांक: 24.8.17

प्रशासनिक स्वीकृति आदेश

राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन के सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन के अन्तर्गत राज्य में **कृषि उपकरणों के कस्टम हायरिंग केन्द्रों** की स्थापना हेतु आमंत्रित अभिरूचि की अभिव्यक्ति की निरन्तरता में ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (GRAM 2016) जयपुर में राज्य सरकार एवं ट्रेक्टर एण्ड फार्म इक्विपमेन्ट लि0 चेन्नई के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन तथा कृषि विभाग राजस्थान एवं निवेशक फर्म (ट्रेक्टर एण्ड फार्म इक्विपमेन्ट लि0 चेन्नई) के मध्य निष्पादित करार के अन्तर्गत निवेशक फर्म द्वारा प्रथम एवं द्वितीय ऑपरेटर के रूप में उनको निम्नांकित आवंटित जिलो में स्वयं के अथवा फ्रेन्चाईजी के माध्यम से **कृषि उपकरणों कस्टम हायरिंग केन्द्रों** की स्थापना किया जाना निर्धारित है।

प्रथम ऑपरेटर के रूप में आवटित जिलें	द्वितीय ऑपरेटर के रूप मे आवंटित जिले
1. अजमेर 2. दौसा 3. जयपुर 4. टोंक 5. बाड़मेर 6. जोधपुर 7. झुंझुनू 8. नागौर 9. सीकर	1. बांरा 2. बून्दी 3. झालावाड 4. कोटा 5. अलवर 6. भरतपुर 7. धौलपुर 8. करौली 9. सवाई माधोपुर 10. जालोर 11. पाली 12. सिरोही

कस्टम हायरिंग केन्द्रों (फार्म मशीनरी बैंक फॉर कस्टम हायरिंग / कस्टम हायरिंग हेतु उच्च प्रौद्योगिकी उच्च उत्पादक उपकरण केन्द्र) की स्थापना हेतु विभागीय पत्र क्रमाक प.4(iv)कृ यंत्र / 2017–18 / 2272–2498 दिनांक 03.07.2015 द्वारा जारी दिशा–निर्देश में निर्धारित प्रक्रिया के क्रम में ट्रेक्टर एण्ड फार्म इक्विपमेन्ट लि0 चेन्नई द्वारा उनके अधिकृत फ्रेन्चाईजी श्री नरेन्द्र नागर, **प्रोपराईटर बालाजी कृषि फॉर्म, माधोराजपुरा पं. स. केशोरायपाटन जिला बून्दी** के अग्रेषित आवेदन के आधार पर "कृषि उपकरणों के कस्टम हायरिंग केन्द्र" स्थापित करने की प्रशासनिक स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

श्री नरेन्द्र नागर, प्रोपराईटर बालाजी कृषि फॉर्म, माधोराजपुरा पं. स. केशोरायपाटन जिला बून्दी द्वारा स्थापित किये जाने वाले "**कृषि उपकरणों के कस्टम हायरिंग केन्द्र**" की प्रशासनिक स्वीकृति कृषि विभाग राजस्थान एवं निवेशक फर्म (ट्रेक्टर एण्ड फार्म इक्विपमेन्ट लि0 चेन्नई) के मध्य निष्पादित करार एवं परिशिष्ठ "1" में वर्णित शर्तों की पालना के अध्यधीन होगी। उक्त "**कृषि उपकरणों के कस्टम हायरिंग केन्द्र**" हेतु अनुमोदित कृषि यंत्र / उपकरण परिशिष्ठ "2" के अनुसार होगे।

(विकास सीतारामजी भाले)
आयुक्त, कृषि

क्रमांक:प.4 (iv) DAG / IMP / CHC / TAFE / 2016–17 / 3291-3330 दिनांक 24.8.17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, आयुक्त, कृषि, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक, कृषि (आदान), मुख्यालय जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, कृषि, मुख्यालय, जयपुर।
4. खण्डीय संयुक्त निदेशक, कृषि (वि0), कोटा।

5. उप निदेशक, कृषि (वि0), जिला परिषद बून्दी को ट्रेक्टर एण्ड फार्म इक्विपमेन्ट लि0 चेन्नई के साथ निष्पादित समझौता ज्ञापन एवं करार की प्रति मय मूल आवेदन संलग्न प्रेषित कर लेख है कि विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश की पालना सुनिश्चित करते हुये प्रशासनिक स्वीकृति की शर्तों के अधीन आवेदन सम्बन्धित बैंक शाखा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करे।
6. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर मुख्यालय, जयपुर।
7. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा बून्दी जिला बून्दी जरिये उप निदेशक, कृषि (वि0), जिला परिषद बून्दी।
8. श्री नरेन्द्र नागर, प्रोपराईटर बालाजी कृषि फॉर्म, माधोराजपुरा पं. स. केशोरायपाटन जिला बून्दी को प्रेषित कर लेख है कि प्रशासनिक स्वीकृति आदेश में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुये उप निदेशक, कृषि (वि0) जिला परिषद के समन्वय से सम्बन्धित बैंक शाखा से सम्पर्क कर ''कृषि उपकरणों के कस्टम हायरिंग केन्द्र'' की स्थापना हेतु ऋण प्राप्त किये जाने की कार्यवाही पूर्ण करे।
9. श्री शैलेश कुमार जैन, क्षेत्रीय प्रबन्धक, कस्टम हायरिंग, ट्रेक्टर एण्ड फार्म इक्विपमेन्ट लि0 चेन्नई को उनके द्वारा अग्रेषित प्रस्ताव के क्रम में प्रेषित कर लेख है कि सम्बन्धित उप निदेशक कार्यालय से समन्वय कर ''कृषि उपकरणों के कस्टम हायरिंग केन्द्र''की स्थापना का कार्य शीघ्र पूर्ण करावें।
10. आरक्षी पत्रावली।

(के0 एन0 खण्डेलवाल)
उप निदेशक, कृषि (अभियांत्रिकी)

ट्रेक्टर एण्ड फार्म इक्विपमेन्ट लि0 चेन्नई के अधिकृत फ्रेन्चाईजी श्री नरेन्द्र नागर, प्रोपराईटर बालाजी कृषि फॉर्म, माधोराजपुरा पं. स. केशोरायपाटन जिला बून्दी द्वारा स्थापित किये जाने वाले "कृषि उपकरणों के कस्टम हायरिंग केन्द्र" की स्थापना हेतु निर्धारित शर्तें

i. श्री नरेन्द्र नागर, प्रोपराईटर बालाजी कृषि फॉर्म, माधोराजपुरा पं. स. केशोरायपाटन जिला बून्दी द्वारा स्थापित किये जाने वाले "कृषि उपकरणों के कस्टम हायरिंग केन्द्र" हेतु ऋण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा बून्दी जिला बून्दी से प्राप्त किया जायेगा।

ii. बैंक द्वारा मार्जिन मनी को छोड़कर शेष राशि के बराबर का ऋण आवेदक को स्वीकृत किया जायेगा।

iii. आवेदक को अनुदान राशि केवल मशीनों/यंत्रों की लागत के आधार पर देय होगी। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन के अन्तर्गत कृषि उपकरणों के कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना हेतु स्वीकृत किये गये कृषि यंत्रों/उपकरणों की लागत का 40% अनुदान देय है। कृषि यंत्रो/उपकरणों के क्रय पर प्रचलित कर आवेदक को स्वयं वहन करना होगा।

iv. ऋण अदायगी में आवेदक द्वारा बैंक की राशि लौटाने के उपरांत अनुदान की राशि का समायोजन एक मुश्त रुप से बैंक द्वारा किया जायेगा। आवेदक ऋण राशि अदा करने मे असफल होता है तो उसे अनुदान का लाभ भी प्राप्त नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आवेदक बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण राशि एवं देय ब्याज का देनदार रहेगा। बैंक को अनुदान राशि पुनः विभाग को लौटानी होगी।

v. स्वीकृत किये गये ऋण को 4 वर्ष की अवधि (Lock-in Period) के पूर्व पूर्णरुप से लौटाया नहीं जा सकेगा। (Lock-in Period) की अवधि के पूर्व आवेदक द्वारा बैंक ऋण पूर्ण रुप से चुकाने पर आवेदक अनुदान का पात्र नहीं रहेगा। इस स्थिति में बैंक द्वारा अनुदान की राशि विभाग को वापिस की जावेगी।

vi. अनुदान की राशि जब तक बैंक के पास रहेगी तब तक उस पर विभाग/आवेदक को कोई ब्याज देय नहीं होगा। ऋण राशि से अनुदान की राशि घटाने के बाद शेष राशि पर ही बैंक द्वारा आवेदक से ब्याज लिया जायेगा।

vii. योजनान्तर्गत कय किए गए ट्रेक्टर एवं कृषि मशीनों से न्यूनतम 4 वर्ष की अवधि तक कस्टम हायरिंग (Custom Hiring) सेवायें प्रदान करनी आवश्यक होगी।

viii. स्वीकृत ऋण की वसूली अधिकतम 6 वर्ष में की जावेगी तथा ऋण स्थगन अवधि (Moratorium Period) अधिकतम 6 माह रहेगी।

ix. योजना के तहत क्रय की गई मशीनों/यंत्रों आदि को ऋण प्रदाय किये गये बैंक के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति/समिति/फर्म को आवेदक द्वारा 6 वर्ष की अवधि तक विक्रय/रेहन (Mortgage) अथवा हस्तांतरित नही किया जा सकेगा। इसका उल्लंघन किये जाने पर विभाग को नियमानुसार अनुदान राशि मय प्रचलित ब्याज के वापस करनी होगी। राशि वापस न किये जाने की दशा में संपूर्ण राशि की वसूली हेतु आवेदक पर कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।

x. आवेदक द्वारा बैंक ऋण अदा न करने की स्थिति में बैंक द्वारा वैधानिक कार्यवाही उपरात वसूल की गई राशि में से प्रथमतः बैंक की ऋण राशि (ब्याज सहित) समायोजित की जाकर शेष राशि आवेदक को लौटाई जायेगी।

xi. आवेदक द्वारा **"कृषि उपकरणों के कस्टम हायरिंग केन्द्र"** हेतु प्रशासनिक स्वीकृति में अनुमोदित कृषि यंत्र/उपकरण का क्रय किया जायेगा एवं यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके द्वारा क्रय किये जाने वाले उपकरण/यंत्र भारत सरकार से मान्यता प्राप्त परीक्षण केन्द्रों द्वारा परीक्षित होगे एवं उनके निर्माता/डीलर उप निदेशक कृषि (वि0) जिला परिषद द्वारा उसी जिले में अथवा राज्य के अन्य जिलों में पंजीकृत हो। केन्द्र पर रखे जाने वाले समस्त यंत्रों/उपकरणों के विस्तृत स्पेशिफिकेशन आवेदक द्वारा सम्बन्धित ऑपरेटर के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

xii. आवेदक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केन्द्र हेतु कय किये जा रहे ट्रेक्टर चलित उपकरण/यंत्र ट्रेक्टर की बी.एच.पी. के संगत (Compatible) हो, साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्रों का संचालन उपयुक्त एवं वैद्य ड्राइविंग लाइसेंस धारक प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा ही किया जाये।

xiii. आवदेक द्वारा **"कृषि उपकरणों के कस्टम हायरिंग केन्द्र"** स्थापना हेतु कय की गई मशीनों/यंत्रों के शेड निर्माण एवं आवश्यकतानुसार भूमि आदि की व्यवस्था तथा कृषि यंत्रों का रख रखाव स्वय करना होगा। प्रदाय की गई मशीनों/उपकरणों/कृषि यंत्रों को आवेदक द्वारा सही हालत में रखना होगा। इसका निरीक्षण समय-समय पर विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।

xiv. श्री नरेन्द्र नागर, प्रोपराईटर बालाजी कृषि फॉर्म, माधोराजपुरा पं. स. केशोरायपाटन जिला बून्दी द्वारा स्थापित किये जाने वाले "कृषि उपकरणों के कस्टम हायरिंग केन्द्र" के कार्य निष्पादन का आंकलन केन्द्र में स्वीकृत ट्रेक्टर के कृषि कार्यों हेतु संचालन की अवधि के आधार पर किया जायेगा। कृषि उपकरणों के कस्टम हायरिंग केन्द्र में स्वीकृत प्रत्येक ट्रेक्टर को प्रति वर्ष 600 घंटे का संचालन कृषि कार्यों के प्रयोजनार्थ किया जाना अनिवार्य होगा। "कृषि उपकरणों के कस्टम हायरिंग केन्द्र" द्वारा कृषि मौसम में केवल कृषि संबंधित कार्य ही किये जा सकेंगे। वर्षाकाल आदि में जब कृषि कार्य नहीं होते हैं तब अकृषि कार्य भी किये जा सकेंगे।

xv. **"कृषि उपकरणों के कस्टम हायरिंग केन्द्र"** के अन्तर्गत कृषकों को प्रदत्त कस्टम हायरिंग सेवाओ का सम्पूर्ण विवरण आवदेक द्वारा निर्धारित प्रारुप में संधारित करके रखा जाना होगा। इसका निरीक्षण भी समय-समय पर विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। विभाग द्वारा चाहे जाने पर केन्द्र को संधारित जानकारियां उपलब्ध करानी होंगी।

xvi. कृषि उपकरणों के कस्टम हायरिंग केन्द्र को स्थानीय आवश्यकता के आधार पर क्रमोन्नत किया जा सकेगा।

xvii. आवेदक द्वारा इन शर्तो को स्वीकार करने सम्बन्धी शपथ पत्र राशि रू. 50/- नॉन ज्युडिशियल स्टैम्प पेपर पर निष्पादित किया जायेगा।